

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
उर्दू निदेशालय

का०आ०सं० उ०नि०-85/2016.....105...../ पटना, दिनांक-.....15-12-17.....

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 के उपबंधों के अधीन विभागीय स्क्रिनिंग समिति की दिनांक-07.12.2017 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निदेशालय के निम्नांकित उर्दू अनुवादकों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित वेतनमान/पे बैंड+ग्रेड पे में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० स्कीम के अधीन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम ए०सी०पी० लाभ की तिथि एवं अपुनरीक्षित वेतनमान	द्वितीय ए०सी०पी० /एम०ए०सी०पी० लाभ की तिथि एवं अपुनरीक्षित/पुनरीक्षित वेतनमान+ग्रेड पे	तृतीय ए०सी०पी० लाभ की तिथि+ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अब्दुल जब्बार, उर्दू अनुवादक अनुमंडल कार्यालय, सारण (छपरा)	13.12.62	27.09.95	-	27.09.2015 9300-34800 ग्रेड पे-4600/-	-
2	श्री मो० मुस्तकीम, उर्दू अनुवादक अनुमंडल कार्यालय, पुपरी सीतामढ़ी।	07.09.61	26.09.95	-	26.09.2015 9300-34800 ग्रेड पे-4600/-	-
3	श्री मो० अमीन उद्दीन अंसारी, उर्दू अनुवादक, प्रखण्ड कार्यालय, अमौर पूर्णिमा। (सेवानिवृत्त)	10.02.56	14.03.83	09.08.1999 5000-8000	14.03.2007 9300-34800 ग्रेड पे-4600/-	14.03.2013 9300-34800 ग्रेड पे-4800

- इस वित्तीय उन्नयन के कारण किसी कर्मि के वर्तमान पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कारण उच्चतर पद की हकदारी का दावा नहीं कर सकेंगे।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सम्बद्ध उर्दू अनुवादकों की सेवा पुस्त से सेवा-सत्यापन की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही वित्तीय लाभ दिया जाय। यदि सेवा-सत्यापन में त्रुटि रह गयी हो तो उसके निराकरण के बाद ही वित्तीय लाभ दिया जाय।
- वित्त विभाग/अंकेक्षण द्वारा किसी प्रकार का संशोधन किये जाने पर प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उनसे भुगतान की गयी राशि की वसूली नियमानुसार कर ली जाएगी।
- सेवा निवृत्त हो चुके कर्मि के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि यदि उनके विरुद्ध पूर्व से किसी प्रकार का मामला यथा निलम्बन, विभागीय कार्यवाही एवं राशि वसूली का मामला लम्बित हो तो उनके पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही उन्हें ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ का भुगतान किया जाय।
- इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।



ह०/-

(इम्तियाज अहमद करीमी)  
निदेशक।

- ज्ञाप सं०-...../ पटना, दिनांक-.....
- प्रतिलिपि:- सभी सम्बद्ध जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी सम्बद्ध जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

(इम्तियाज अहमद करीमी)  
निदेशक।

ज्ञाप सं०- 867 /

पटना, दिनांक- 15-12-17

- प्रतिलिपि:- सभी सम्बद्ध अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी सम्बद्ध उर्दू अनुवादक को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- बजट शाखा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

  
15/12/17  
(इम्तियाज अहमद करीमी)  
निदेशक।